

26.04.2022:-पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्सुमानगढ़